

डिप्टी बमुकदमे ईबतवाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 388/2019

रणजीतकौर पत्नी श्री दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी हाल
संगरिया जिला हनुमानगढ़।
वादीया

बनाम

रतनदीप सिंह पुत्र श्री दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।
प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री
महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व
डिग्री दी जाती है कि चकनं 8 सीडीआर के प0न0 225/249 मु0 15 किलानं0
5/1/.228, 5/2/.025 खाला, .6,15,16,24, प0न0 225/250 मु0 33 किलानं0
1/1/.228, 1/2/.025 है0 रास्ता, 2/1/.228, 2/2/.025 है0 रास्ता, 3/1/.228,
3/2/.025 रास्ता, 4/1/.228, 4/2/.025 है0 रास्ता 7/.253 है0 कृषि भूमि की
वादीया रणजीतकौर को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं 8 सीडीआर के
खाता सं0 106 मे से प्रतिवादी का हिस्सा कम किया जाकर शेष खाता प्रतिवादी का
बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन
किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक. 16.12.19.....को जारी
किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी